प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 79/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2024: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने **"डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024"** नामक विनियम जारी किए हैं। विनियमों का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2. भवनों के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी की गुणवत्ता के मुद्दे को हल करने हेतु नीति और विनियामक ट्रिगर प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 20 फरवरी 2023 को "डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" विषय पर सरकार को अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य किसी भी विकास गतिविधि के हिस्से के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के सह-निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त, भवनों या क्षेत्रों में डीसीआई के सह-निर्माण को सक्षम करने हेतु, प्राधिकरण ने मॉडल बिल्डिंग उपनियम के एक हिस्से के रूप में डीसीआई विकास को शामिल करने की अनुशंसा की है और नए और मौजूदा भवनों के लिए डीसीआई की आवश्यकता को शामिल करते हुए "भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर" शीर्षक से एक मसौदा अध्याय का सुझाव दिया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश डेटा खपत घर के अंदर या सार्वजनिक परिसरों में होती है, जबकि 5जी प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ डेटा खपत की मात्रा और गति में तेजी से वृद्धि देखी गई है।

3. उपर्युक्त अनुशंसाओं के एक भाग के रूप में, प्राधिकरण द्वारा सहयोगात्मक और स्वपोसी दृष्टिकोण के माध्यम से अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या संपत्तियों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा लाने का भी निर्णय लिया गया।

4. तदनुसार, इन विनियमों को संपत्ति प्रबंधकों को अपने मौजूदा और संभावित ग्राहकों को अच्छा डिजिटल कनेक्टिविटी अनुभव प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने हेतु अधिसूचित किया जा रहा है। बेहतर रेटिंग वाली संपत्ति अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं, क्रेताओं या निवेशकों को आकर्षित करेगी जिससे संपत्तियों का महत्व बढ़ जाएगा।

5. भारत में, 927.56 मिलियन वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, जबकि 42.04 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर (जून 2024 तक) अपने घरों या कार्यालयों में वायर्ड कनेक्टिविटी रखते हैं। इस प्रकार, वर्तमान समय में, अधिकांश आबादी इंटरनेट तक पहुँचने के लिए वायरलेस नेटवर्क पर निर्भर है।

6. 4जी (एलटीई) नेटवर्क के महत्वपूर्ण कवरेज और 5जी नेटवर्क के रोलआउट, अधिक स्पेक्ट्रम बैंड की उपलब्धता के बावजूद, भवनों के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी की कवरेज और गुणवत्ता एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है, जिसे सेवा प्रदाताओं और संपत्ति प्रबंधकों के सहयोग से बड़े पैमाने पर समाधान करने की आवश्यकता है।

7. विनियमों को एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के पश्चात अंतिम रूप दिया गया है, जिसके अंतर्गत दिनांक 27 सितंबर 2023 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर "भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग ढांचे पर विनियमन" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। हितधारकों के साथ वर्चुअल माध्यम से दिनांक 18 जून 2024 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया।

8. विनियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विनियमों में किये गए प्रावधानों के अनुसार डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग के प्रबंधन के उद्देश्य से भादूविप्रा द्वारा एक रेटिंग प्लेटफॉर्म, अर्थात एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और संबंधित एप्लिकेशन स्थापित या प्राधिकृत किए जाएंगे। रेटिंग प्रक्रिया को केवल रेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया जाएगा।

ii. डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (डीसीआरए) के रूप में गतिविधि शुरू करने का इरादा रखने वाली एवं पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली किसी भी इकाई को रेटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा।

iii. संपत्ति प्रबंधक, जो न्यूनतम विनिर्दिष्ट आकार की अपनी संपत्ति की रेटिंग के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके और प्रारूप में और ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर रेटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा।

iv. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग के उद्देश्य से संपत्तियों को आवासीय, सरकारी संपत्तियां, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, अन्य निजी या सार्वजनिक क्षेत्र, स्टेडियम या खेल के मैदान या अक्सर इकट्ठा होने वाले स्थान और परिवहन गलियारे जैसे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

v. डीसीआरए वसूले जाने वाले शुल्क और अन्य निबंधन और शर्तों, यदि कोई हों, को संपत्ति प्रबंधक को बताएगा और किसी भी रेटिंग गतिविधि के आरंभ होने से पूर्व उनकी स्वीकृति प्राप्त करेगा।

vi. डीसीआरए द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क संपत्तियों की श्रेणी और वर्गीकरण, इन विनियमों के प्रावधानों के तहत डीसीआरए की जिम्मेदारी, शामिल जटिलता, संपत्ति का क्षेत्रफल आदि पर आधारित होगा।

vii. कोई भी दूरसंचार सेवा प्रदाता किसी भी संपत्ति प्रबंधक के साथ उनकी संपत्ति में डिजिटल कनेक्टिविटी या डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास या एक्सेस के लिए कोई विशेष व्यवस्था या टाई-अप नहीं करेगा।

viii. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग के प्रयोजनों के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग उपनियम (एमबीबीएल) को उन मामलों

में संदर्भित किया जाएगा जहां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एमबीबीएल में डिजिटल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान नहीं हैं।

ix. डीसीआरए संपत्ति का मूल्यांकन करेगा और रेटिंग प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक रेटिंग मानदंड और उप-मानदंड के विरुद्ध स्कोर प्रदान करेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एक स्टार से लेकर पांच स्टार तक की संपत्ति को प्रदान की जाएगी। इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंक प्रदान करने और प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

x. प्राधिकरण उस तारीख को अधिसूचित करेगा जिस दिन रेटिंग प्लेटफॉर्म को लाइव किया जाएगा। इसके अलावा, प्राधिकरण ऑनलाइन रेटिंग प्लेटफॉर्म के विकास तक संपत्ति की रेटिंग के लिए एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान कर सकता है।

9. ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे -

क. संपत्ति प्रबंधक जो अपनी न्यूनतम विनिर्दिष्ट आकार की संपत्ति को, स्वेच्छा से या लागू कानूनों, नियमों या विनियमों के प्रावधानों के तहत, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग कराना चाहते हैं।

ख. डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (डीसीआरए), जो इन विनियमों के तहत संपत्ति का मूल्यांकन और रेटिंग प्रदान कर सकती है; और

ग. सेवा प्रदाता, जो डिजिटल कनेक्टिविटी या डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास या एक्सेस के लिए संपत्ति प्रबंधक के साथ व्यवस्था कर सकते हैं।

10. ये विनियम दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से प्रवृत्त होंगे।

11. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस-I) भादूविप्रा से ईमेल: advqos1@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91-11-26701512 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

*****